राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/रीडर/ 376 दिनांकः– 24 /02/2025

प्रकरण संख्या 12/25 दायर दिनांक 18.02.2025

निमित्तः–

तहसीलदार बिजौलियां।

अनवान

01.शंकरलाल पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोविन्द निवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

..........वादी

बनाम

01.मोहनलाल पुत्र हीरा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोविन्द निवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा (राज0)

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री रामफूल धाकड़ ....विद्वान अधिवक्ता वादी
01. श्री पिंकोश धाकड़ ... विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–::प्राथमिक डिकी::–

डिकी दिनांक 18/02/2025

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत **धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा है कि 01.कि ग्राम गोविन्द निवास पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 98 पर अंकित आराजी संख्या 106 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, आराजी संख्या 109 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, आराजी संख्या 112 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी संख्या 238 रकबा 0.5747 हैक्टेयर, आराजी संख्या 241 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, आराजी संख्या 242 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, आराजी संख्या 244 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, आराजी संख्या 373 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, आराजी संख्या 377 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आराजी संख्या 71 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, आराजी संख्या 87 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, कुल किता 11 रकबा 2.6711 हैक्टेयर एवं ग्राम देरोली पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा में स्थित खाता संख्या 45 पर अंकित आराजी संख्या 122/1 रकबा 0.7365 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा होकर मौके पर हिस्सेनुसार काबिज हो उपयोग उपभोग एवं काश्त करता आ रहा है तथा हिस्सेनुसार लगान राज्य सरकार में जमा करवाता आ रहा है मौके पर वादी व प्रतिवादीगण अलग–अलग काबिज है। किन्तु विधिवत् रूप से मौके व राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है।

02. यह कि उक्त आराजीयात का मौके पर राजस्व रेकार्ड में विधिवत् रूप से विभाजित न होने के कारण फसल बुआई एवं फसल कटाई के समय आये दिन हिस्से एवं काश्त को लेकर प्रतिवादीगण विवाद उत्पन्न करते रहते है तथा लगान जमा कराने में भी कठिनाई होती रहती है। जिससे वादग्रस्थ आराजीयात पर वादी का शांतिपूर्वक काश्त करना, उन्नत आबाद करना संभव नही रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण से दिनांक 10.01 2025 की गौके पर काबिज हिस्सेनुसार बंटवारा करवाने बाबत् निवेदन किया तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये। वादी के पास वाद पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई उपचार शेष नही रहा।

पत्रावली दिनांक 29.01.2025 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों का तामील भेजी गई। बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी 02 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षी 01 अधिवक्ता पिंटोश धाकड़ के साथ स्वयं उपस्थित हुआ और उसने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसे उक्त बँटवाड़ा प्रस्ताव से कोई परेशानी नहीं है। वह बँटवाड़ा के लिए सहमत है। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री किये जाने योग्य हैं। अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** डिक्री किया जाकर **प्रारम्भिक डिक्री** इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम गोविन्द निवास पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 98 पर अंकित आराजी संख्या 106 रकबा 0.1295 हैक्टेयर, आराजी संख्या 109 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, आराजी संख्या 112 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, आराजी संख्या 238 रकबा 0.5747 हैक्टेयर, आराजी संख्या 241 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, आराजी संख्या 242 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, आराजी संख्या 244 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, आराजी संख्या 373 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, आराजी संख्या 377 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, आराजी संख्या 71 रकबा 0.2914 हैक्टेयर, आराजी संख्या 87 रकबा 0.2266 हैक्टेयर, कुल किता 11 रकबा 2.6711 हैक्टेयर एवं ग्राम देरोली पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा में स्थित खाता संख्या 45 पर अंकित आराजी संख्या 122/1 रकबा 0.7365 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा **का मौके पर** जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार **बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर** विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा 2 प्रति में तैयार कर इस न्यायालय में सुनवाई दिनांक **11/03/2025** तक प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 18/02/2025 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां